न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 272/2023

कालूराम पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी भोमपुरा हाल अनाजमण्डी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

-:वादी

बनाम्

1 मनीराम पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ

2 स्टेट जरिये तहसीलदार हनुमानगढ

3 ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री देवदत भीडासरा - अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेश बुरड़क - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 2

-:निर्णयः-

दिनांक 27.02.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 के नाम संयुक्त खाता चक 15 एजी में कुल 1.771 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो इस प्रकार से है- चक 15 एजी प.न. 193/377 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 7/1.771 हैक्टेयर।

यह है कि वाद दफा 2 में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी ने आपसी सहमति से घरा घरू बंटवारा अच्छी मंदी किस्म के अनुसार कर रखा है। बंटवारा अनुसार कुल 1.771 है. भूमि में से वादी के हिस्सा व कब्जाकाश्त में 1.012 हैक्टेयर व प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा व कब्जाकाश्त में 0.759 हैक्टेयर भूमि है। क्योकिं वादी के कब्जा की भूमि रेतीली व कम उपजाउ है। वादी व प्रतिवादी ने सहमति से निम्न प्रकार घराघरू बंटवारा कर रखा है।

हिस्सा वादी कालूराम चक 15 एजी प.न. 193/377 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/.759, 4/.234 उत्तरी तरफ कुल 1.012 हैक्टेयर। हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 चक 15 एजी प.न. 193/377 मु.न. 25 कि.न. 4/.019 पूर्वी तरफ [illegible]4, 6, 7/.506 कुल .759 हैक्टेयर।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादी [illegible] बंटवारा कर रखा है इसी अनुसार ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है किन्तु खाता प्रतिवादीगण के साथ खाता सयुंक्त होने के कारण वादी के साथ सींव बट का झगड़ा बना रहता हैं। इसलिए वादी अपना खाता प्रतिवादी [illegible] से अलग करवाने का अधिकारी हैं।

यह कि वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मुताबिक कब्जाकाश्त वादी का खाता अलग कायम करवा दो, पहले तो टाल-मटोल करते रहे, गत सप्ताह इन्कार हो गया, यही वादी कारण हैं। आदि आदि कथन कर अनुतोष चाहा कि वादग्रस्त आराजी तादादी 1.771 है. चक 15 एजी का वाद दफा 3 अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:08:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता राजेश बुरड़क ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जवाब स्टेट पेश कर राजहित सुरक्षित रखते हुए वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। प्रदश 1 दस्तावेज जमाबंदी चक 15 एजी खाता 67/15 जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/2 हिस्से के खातेदार है, प्रदश 2ए दस्तावेज बैयनामा दिनांक 5.2.1974 जिसमें विक्रेता हरीराम वल्द जेसा जाति जाट निवासी भोमपुरा द्वारा अपने हिस्से चक 15 एजी प.न. 193/377 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 4 कुल 1.012 है. रकबे का बेचान जरिये रजिस्टर्ड डीड वादी कालूराम के पक्ष में किया गया है, प्रदश 3 ए बैयनामा दिनांक 5.2.1974 द्वारा विक्रेता हरीराम वल्द जेसा जाति जाट निवासी भोमपुरा ने जरिये रजिस्टर्ड डीड प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष मे चक 15 एजी प.न. 193/377 मु.न. 25 कि.न. 5 ता 7 कुल 0.759 है. रकबे का बेचान किया गया है। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत 18 नियम 4 सीपीसी अपने वाद पत्र के समर्थन में पेश किया। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा प्रत्येक का दर्ज है जबकि मुताबिक प्रदश दस्तावेजों से साबित है कि वादी का कुल 1.012 हैक्टेयर रकबा खरीदशुदा है जबकि प्रतिवादी सं. 1 का 0.759 हैक्टेयर रकबा खरीदशुदा है। अतः वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सा मुताबिक प्रदश दस्तावेज बैयनामा के दुरूस्त करते हुए, वाद पत्र स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है किः- हिस्सा वादी कालूरामः- चक 15 एजी प.न. 193/377 मु.न. 25 कि.न. 1, 2, 3/.759, 4/.234 उत्तरी तरफ, कुल 1.012 हैक्टेयर। हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 चक 15 एजी प.न. 193/377 मु.न. 25 कि.न. 4/.019 पूर्वी तरफ, 5/.234, 6, 7/.506 कुल 0.759 हैक्टेयर। इसी अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हिस्सा दुरूस्त करते हुए वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का खाता अलग अलग किया जाता है तथा इसी अनुसार रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै. मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 13:08:59 IST
Reason: SelfAttested

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ